कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 2949 /14–1, हरदोई, दिनांक, फरवरी, 16, 2018।

सेवा में,

टेरीटरी मैनेजर (रिटेल),
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
पोल बुल्क डिपॉट,ग्राम–नूरपुर तहसील–अनोला
जिला–बरेली

विषयः– **जनपद हरदोई मे शाहजहांपुर–हरदोई–लखनऊ राजमार्ग सं0–25 कि0 मी0–177–178 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम–वल्लीपुर परगना–बंगर तहसील–हरदोई मे भारत पेट्रोलियम कारपो0 लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के लिए 0.075051 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ, वन एंव वन्य जीव अनुभाग–2 की पत्र सं0–पी–133/14–2–2017–800(126)/2017, दिनॉक–12–02–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं इस कार्यालय सहित आपको भी पृष्ठांकित है, पत्र का अवलोकन करे। सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मार्ग के किनारे प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि 0.075051 हे0 भूमि पर गैरवानिकी प्रयोग एंव बिना वृक्ष पातन के अनुमति, पत्र मे उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। निहित शर्तो पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराने जाने के पश्चात ही प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की विधिवत् स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दिनॉक 12–02–2018 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–07 एंव 27 के अनुपालन में आगणित धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0–7–प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की अपेक्षित धनराशि–

क्षेत्रफल–0.075051 हे0 x 6,26,000 (प्रति हे0 दर) = रू0–**46,982.00**।

बिन्दु सं0–27–100 पौधो का रोपण (08 से 12 फुट पौध) एंव 10 वर्षो तक रख रखाव पर व्यय होने वाली आगणित धनराशि–(क्षति0 वृक्षा0 दर नोडल अधिकारी/मु0वन सं0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दि0–09–09–2016 द्वारा निर्धारित है) = रू0–**53,900.00**।

उपरोक्त आगणित धनराशि जो Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority के पक्ष में देय हो, आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा के खाते मे

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (उ0प्र0कैम्पा) लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–698 /11– सी, दि0–29–09–2016 द्वारा निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि वांछित धनराशि रू0–**46,982.00** व रू0–**53,900.00** को आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते मे जमा कर आनलाईन ई–रसीद मूल मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। साथ ही साथ सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0–1 से लगायत 6, 8 से लगायत 26 तक एंव 28, 29 के समस्त बिन्दुवार शर्तो के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रॉक–............/ उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रॉक–2378/11–सी–FP/UP/Others/26434/2017 दिनॉक–13–02–2018 के क्रम मे उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रश्नगत प्रकरण मे यह भी अनुरोध करना है कि याचक विभाग के द्वारा भारत सरकार की वेवसाइट पर आनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/ Other/25625/ 2017 द्वारा डबल इन्ट्री की गयी है, जिसे निरस्त कराने की कृपा करे।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।